उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

विविध वाद सं0 –01/2023

भृगुनाथ राय वगै0..............................वादी।

बनाम्

बिहार सरकार वगै0................................प्रतिवादीगण।

आदेश

24.01.2026 आवेदेक की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.11.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के विपक्षी सं0 05 राधिका देवी की मृत्यु दिनांक 15.10.2025 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि मृत विपक्षी सं0 05 राधिका देवी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा उनके वारीसान मनोज पाण्डेय, प्रमनाथ पाण्डेय, श्याम बिहारी पाण्डेय व लाल बिहारी पाण्डेय का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अन्दर है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.11.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यलय आवेदनानुसार विपक्षी सं0 05 राधिका देवी का नाम कलमजद कर उनके वारीसान मनोज पाण्डेय, प्रमनाथ पाण्डेय, श्याम बिहारी पाण्डेय व लाल बिहारी पाण्डेय का नाम प्रतिस्थापित करे आवेदक नए प्रतिस्थापित विपक्षीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक–07.03.2026 वास्ते अपेक्षिकाएँ हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)